



2026:AHC:127857

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20065/2026

सूरज कुमार उर्फ सूरज कुमार शॉ

.....आवेदनकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदनकर्ता की ओर से अधिवक्ता : अविनाश पाण्डेय, सूर्य प्रकाश त्रिपाठी

विपक्ष पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक को वाद अपराध संख्या 158/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 190, 125, 326(जी), 333, 324(4), 115(2), 351(2), 3(5) तथा आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम की धारा 7, थाना सेक्टर 63, जनपद गौतम बुद्ध नगर में जमानत पर मुक्त किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् अनमोल तथा विशाल कुमार को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः दिनांक 03.06.2026 तथा 10.06.2026 को पारित आदेशों के माध्यम से फौजदारी विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 19238/2026 तथा 19299/2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। उक्त आदेशों की प्रतिलिपियाँ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त का समुचित स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना-पत्र के अनुच्छेद संख्या 36 में दिया गया है तथा आवेदक दिनांक 16.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् अनमोल तथा विशाल कुमार को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

6. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् अनमोल तथा विशाल कुमार को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही उसके क्रियान्वयन पर स्थगन प्रदान किया गया है, साथ ही आवेदक दिनांक 16.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, मेरा मत है कि आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाना उपयुक्त होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में सम्मिलित आवेदक- **सूरज कुमार उर्फ सूरज कुमार शॉ** को उसके द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो सक्षम प्रतिभुओं के बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाए। साथ ही, मुक्त किए जाने का आदेश निर्गत करने से पूर्व प्रतिभुओं का सत्यापन कर लिया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक अभिवचन प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि पर वह स्थगन की कोई प्रार्थना प्रस्तुत नहीं करेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय को यह मानने का अधिकार होगा कि जमानत द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया है तथा वह विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित कर सकेगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि पर्याप्त कारण के अभाव में वह अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए अथवा भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर भी आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए अथवा भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (1) वाद के प्रारम्भ के समय, (2) आरोप विरचित किए जाने के समय तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना पाई जाती है, तो विचारण न्यायालय ऐसे उल्लंघन को जमानत द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाना जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत निर्मित करने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

आदेश दिनांक :- 17/06/2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।